दिनांक 21.05.2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तैयारियों को लेकर आयुक्त एस0के0 सुंदरानी ने दिये आवश्यक निर्देश

भिलाईनगर/स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में पूरे भारत में भिलाई नगर निगम 11 वां रैंक हाासिल करने के पश्चात् अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में प्रवेश कर रहा है। भिलाई को स्वच्छता में नम्बर- 01 बनाने के लिए आयुक्त एस 0के0 सुंदरानी द्वारा विभिन्न प्रयास किये जा रहें हैं इसी कड़ी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की तैयारी के लिए आयुक्त श्री सुंदरानी द्वारा जोन आयुक्तों को निर्देश देते हुए पत्र जारी किया गया है जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 हेतु ठोस अपशिष्ट संबंधित जानकारी जैसे प्रतिदिन एकत्रित कचरे की औसत मात्रा , कुल दाण्डिक शुल्क (प्लास्टिक बैन , सी एण्ड डी , खुले में कचरा फेंकने , ओपन युरिनेशन, स्पीटिंग आदि) निपटान किये गये। जीवीपी की संख्या बिन फ्री की संख्या आदि की जानकारी प्रति माह एमआईएस पोर्टल में अपलोड किया जाना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में निकाय की रैंकिंग 4 चरणों में जिनमें 3 त्रैमासिक अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्टुबर-दिसम्बर एवं वार्षिक सर्वेक्षण 4 जनवरी से 31 जनवरी 2020 तक किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त निकाय क्षेत्रान्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, निर्माण एवं विध्वंश प्रबंधन नियम 2016 का परिपालन किया जाना है , ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अंतर्गत कण्डिका क्रमांक- 15 का कड़ाई से पालन करना, निकाय के किसी भी कचरा प्रसंस्करण केन्द्र की दैनिक क्षमता 5 टन से अधिक न हो , एसडब्ल्यूएम नियम 2016 के फार्म नं. 4 वार्षिक रिपोर्ट के प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक बनाकर सुडा को भेजना, समस्त आरडब्ल्यूए रहवासी कालोनी , गेटेड कालोनी आदि जिनका क्षेत्रफल 5 हजार वर्गफीट अथवा कुल आवास की संख्या 200 से अधिक होने पर परिसर में ही कचरा निपटान केन्द्र स्थापित करने हेतु आदेशित किया जाना है। हाॅस्पिटल , क्लीनिक, नर्सिग होम, पैथालाजी लैब आदि से केवल ठोस अपशिष्ट का संग्रहण किया जाये।

निकाय क्षेत्र में प्लास्टिक कैरीबैग , डिस्पोजल को बैन किया जाना एवं आवश्यक अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना , फीकल स्टज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट हेतु निकाय में एफएसटीपी प्लांट हेतु प्रस्ताव बनाया जाये , समस्त सफाई कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएं एवं सरकारी योजनाएं जैसे 2-3 माह में मेडिकल चेकप ईएसआई , पीएमएवाई उज्जवला योजना , आयुष्मान भारत आदि में प्राथमिकता देना, ईपीआर को निकाय में क्रियान्वयन करना, ईपीआर के तहत् एसी, टीवी, मोबाईल, फ्रीज आदि के मेनुफेक्चर , होलसेलर, डीलरों को इन संसाधनों से जनित अपशिष्ट को संबंधित मेनुफेक्चर , होलसेलर, डीलरों को प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। श्री सुंदरानी ने उपरोक्त जानकारी का प्रतिवेदन बनाकर मुख्य कार्यालय के जन स्वास्थ्य विभाग में श्री हरिश ठाकुर पीएमयू सूडा को प्रेषित करने को कहा गया है साथ ही निम्न कार्यो का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है।

जनसम्पर्क अधिकारी

''जल है तो कल है'' ''जल ही जीवन है''